

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2020/

दिनांक :

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
अलवर/अजमेर/बांसवाडा/बाडमेर/भरतपुर/  
बीकानेर/बून्दी/चित्तौड़गढ़/रतनगढ़/धौलपुर/  
डूंगरपुर/गंगानगर/जयपुर-प्रथम/जैसलमेर/  
जालौर/झालावाड/झुन्झुनू/जोधपुर/करौली/  
कोटा/नागौर/पाली/सीकर/सिरोही/टोंक/  
उदयपुर/दौसा/स.माधोपुर/हनुमानगढ़/बांस/  
राजसमन्द/भीलवाडा/प्रतापगढ़ (राज0)।

**विषय : महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु दिनांक 27.01.2021 को काउंसलिंग किये जाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण कोर्स सत्र 2020-21 में चयन के लिए 27.01.2021 को काउंसलिंग की जानी है जिसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. चयन विज्ञप्ति क्रमांक प्रशि./म.स्वा.कार्य./2020-21/2020/399-400 दिनांक 29.07.2020 में उल्लेखित योग्यता एवं शर्तों के अनुरूप ही किया जावे।
2. चयन पूर्णतया प्राप्तांको के प्रतिशत की मेरिट के अनुसार ही किया जावे।
3. महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, बांसवाडा एवं डूंगरपुर जिले में कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.07.2016 के अनुसार आरक्षण देते हुए टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जा सकेगा अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
4. आरक्षित अभ्यर्थियों को चयन में विज्ञप्ति में दर्शायी गयी सीटों के अनुरूप ही अजात/अजजात/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु में नियमानुसार 5 वर्ष की छूट दी जावे।
5. राज्या सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ 11 (125)/ओबीसी/जाट/R&P/SJED/2016/48825 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य की अन्य पिछडा वर्ग अधिकृत सूची में धौलपुर एवं भरतपुर जिले की जाट जाति वर्ग को सम्मिलित कर लिया गया है। अतः भरतपुर एवं धौलपुर के जाट जाति वर्ग को ओबीसी में सम्मिलित किया जावे।
6. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना प.2(12)विधि/2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार अति पिछडे वर्गों के लिए राज्य की ऐसी शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में जो विहित किये जाये, प्रवेश के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण देय होगा। अति पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ संलग्न करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा।

(उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर करे।)

7. कार्मिक (क-2) के पत्र क्रमांक : एफ 7 (1) कार्मिक/क-2/2017 दिनांक 23.06.2019 के अनुसार जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (1) डीओपी/ए-11/2019 दिनांक 19.02.2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को दस प्रतिशत आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ स्केन कर अपलोड करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को उसकी श्रेणी का लाभ देय नहीं होगा। (उक्त अधिसूचना का अवलोकन कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर करे।)
8. जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP & SC/ST) के जनजातिय अभ्यर्थियों का सक्षम स्तर से जारी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे। सहरिया वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए बारा जिले का सक्षम स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र की जांच की जावे।
9. समान प्रतिशत के अभ्यर्थियों की स्थिति में अधिक आयु वाली अभ्यर्थी चयन योग्य होगी।
10. केवल एक घंटे से दिव्यांग (O.L.) 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग होने पर निःशक्त अभ्यर्थी को होरिजेण्टल/वर्तयता के आधार पर आरक्षण देय होगा। 40 प्रतिशत से कम निःशक्तता (O.L.) होने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा तथा प्रमाण पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
11. शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, जिसके लिए उनके द्वारा प्रकाशित विवरणिका को आधार माना जावे। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 534/05 द्वारा स्टेट ऑफ राजस्थान वगैरा बनाम फिरदोस तरन्नुम में दिनांक 20.01.2006 को पारित

निर्णय की पालना में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के आदेश क्रमांक : मान्यता/ईक्यू/1045 दिनांक 05.07.2011 एवं पत्रांक 2042 दिनांक 17.11.2011 के क्रम में राज्य सरकार की आई.डी. संख्या 586 दिनांक 18.07.2014 के अनुमोदनानुसार जामिया उर्दु अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।

12. प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यर्थी चयन हेतु लिये जाने उसके 5 गुणा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे। उनके कॉल लैटर पर यह आवश्यक अंकित कर दे कि "यह प्रवेश का पत्र नहीं है। निर्धारित सीटों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अतः मेरिट के अनुसार ही उपलब्ध सीटों पर प्रवेश दिया जा सकेगा।" कॉल लैटर अभ्यर्थियों को रजि0 डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 27.01.2021 को काउंसलिंग हेतु बुलाया जावे।
13. काउंसलिंग करने हेतु निम्नलिखित कमेटी गठित की जाती है :-
- |   |          |
|---|----------|
| i. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी                     | अध्यक्ष। |
| ii. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी                  | सदस्य।   |
| iii. संबंधित नर्सिंग अधीक्षक/ प्रभारी, म.स्वा.का. प्रशिक्षण केन्द्र | सदस्य।   |
| iv. संबंधित जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि                            | सदस्य।   |

इनमें से यदि कोई सदस्य उपलब्ध नहीं होने पर उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को शामिल किया जावे।

14. काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थी का प्रशिक्षण हेतु किया गया चयन अंतिम चयन होगा, चयनित अभ्यर्थियों को चयन पत्र आदि दिये जावे एवं उसी दिन से प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावे। चयन हेतु बुलाये गये समस्त 5 गुणा अभ्यर्थियों की सूची मय चयन आदेश व चयन समिति की रिपोर्ट सहित अगले दो दिवस के अन्दर-अन्दर गोपनीय बन्द लिफाफे में निम्न हस्ताक्षरकर्ता को विशेष पत्र वाहक के साथ आवश्यक रूप से भिजवावे, अन्यथा इसको आदेश की अवहेलना माना जावेगा।

15. काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है, वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश इस निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही देवे।

महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण में चयनोपरान्त सूचना निम्न निर्धारित प्रपत्र में विशेष पत्र वाहक के साथ अगले दो दिवस के अन्दर-अन्दर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

सर्वग	सामा.	ओबीसी	अनु. जाति	अनु. जनजाति	टीएसपी (एसटी)	सहारिया	टीएसपी (एससी)	(क्षेत्र आधार) होरिजेन्टल बेसिस पर						
								आठवां कार्य	मिलट्री/ पैरामिलिट्री/ पुलिस मृतक कर्मियों की विधवाओं/	अन्य की विधवाओं एव तलाकशुदा अभ्यर्थी	श्रेणी	दिव्यांग ओएल (एक पैर 40 प्रतिशत)	श्रेणी	विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी
चयन का न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत														
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या														
रिक्त सीटों की संख्या														
अन्य विवरण														

1. प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्योइनिंग के समय जमा कर लिये जावे तथा उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड/संस्थान से सत्यापन कराया जाना सुनिश्चित करे और इनका सत्यापन हो जाने के बाद सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाया जावे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र/अंकतालिका/अन्य दस्तावेज फर्जी पाया जावे तो अभ्यर्थी को अपनी स्थिती स्पष्ट करने का अवसर देते हुए स्पष्टीकरण असंतोष पाये जाने पर उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करायी जावे और प्रशिक्षण से पृथक करके निदेशालय को सूचित किया जावे।
2. काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्रादि शैक्षणिक/जन्मतिथी/जाति प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/दिव्यांग ता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई बिन्दु स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो तत्संबंधी मार्गदर्शन इस निदेशालय से तुरन्त प्राप्त कर लेवे।

3. काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटों के 5 गुणा अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया जाना है। जिसके लिए उन्हें दिनांक 15.01.2021 तक आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड पत्र जारी किये जावें तथा काउंसलिंग में बुलाये गये अभ्यर्थियों की सूची आपके कार्यालय के नोटिस बोर्ड जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर, संबंधित संयुक्त निदेशक (जोन) तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा की जावे। इसी के साथ बुलाये गये अभ्यर्थियों की आरक्षण श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जावे।
4. किसी भी तरह की अनियमितता के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
5. संबंधित जिला कलेक्टर से सम्पर्क कर उनके प्रतिनिधी का आदेश करवाने का दायित्व संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।
6. अभ्यर्थी को पूर्णरूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किये बिना, प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जावेगा बशर्ते की अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया जाना उचित होगा कि सोशियल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूपेण पालना करते हुए निर्धारित तिथि 27.01.2021 को काउंसलिंग प्रातः 9:00 बजे से मध्याह्न 4:00 बजे तक ही निर्धारित किया गया है।

7. अतः समय का ध्यान रखना सुनिश्चित करे साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ है उनके दस्तावेज काउंसलिंग समय के (मध्याह्न 4:00 बजे) पश्चात् वापस लौटाने की कार्यवाही की जावे।



(मुकुल शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 22-12-2020

क्रमांक : प्रशि./म.स्वा.कार्य./एफ 46 पार्ट II/2019/ 847

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, मा. राज्यमंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
5. संबंधित जिला कलेक्टर को प्रेषित कर लेख है कि अपना एक प्रतिनिधी उक्त काउंसलिंग में भिजवाने का श्रम करे।
6. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
7. समस्त प्रभारी, एएनएम प्रशिक्षण केन्द्र, राजस्थान।
8. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
9. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
10. प्रभारी सर्वर कक्ष को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2020-21 में अपलोड करने एवं संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को ई-मेल करने का श्रम करे।
11. रक्षित/आदेश कार्यालय प्रति।



(मुकुल शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर